न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 24/22 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2022/72

उनवान

1. रामकिशन उम्र करीब 72 वर्ष
2. भौरू आयु करीब 77 वर्ष } पुत्र झण्डू
3. भगवान सिंह आयु करीब 67 वर्ष
4. सिरमौहर आयु करीब 69 वर्ष पुत्र रामजीलाल

} जाति मीना नि0 ग्राम हांसई तह0 बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. बचन सिंह
2. राजवीर
3. रामवीर
4. गुडडी } पिस0 श्रीचन्द
5. भगवानदेई
6. जण्डेल
7. दीवान
8. ल्होरे
9. पोथी } पिस0 तेज सिंह
10. रामदेई वेवा गंगाविसन
11. हरीराम पुत्र गंगाविसन
12. राजन्ती
13. हलुकी देवी
14. हरिवाई
15. हरिभेजी
16. नर्वदा } पिस0 गंगाविसन
17. सूखो वेवा बाबूलाल
18. बालकिशन पुत्र बाबूलाल
19. नवल सिंह उर्फ मिसिरिया पुत्र बाबूलाल
20. रामदयाल पुत्र हटीला

} जाति मीना निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी जिला धौलपुर।

21. रामगोपाल पुत्र बाबूलाल
22. मंजू पत्नी आशुतोष
23. सौरभ पुत्र आशुतोष
24. सपन पुत्र आशुतोष
25. सोनम पुत्री आशुतोष
26. रामनिवास पुत्र बाबूलाल
27. वासदेव पुत्र बाबूलाल

} जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी जिला धौलपुर।

28. मोतीलाल पुत्र इन्दर
29. सिरमोहर पुत्र इन्दर

} जाति मीना निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी जिला धौलपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

30. तहसीलदार बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 09.05.2022 प्र0स0 103/11 उनवान श्रीचन्द बनाम रामकिशन व कंसोलिडेट मुकदमा दुर्ग सिंह बनाम श्रीचंद।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 29.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 09.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 के पिता श्रीचन्द व रैस्पो संख्या 06 लगायत 9 तथा रैस्पो0 संख्या 10 लगायत 16 के पूर्व पुरूष दुर्गाप्रसाद तथा रैस्पो0 संख्या 17 लगायत 19 के पूर्व पुरूष बाबूलाल व रैस्पो0 संख्या 20 व 21 के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट व मृतक रामदुलारी मॉ अपीलाण्ट सिरमौहर व मृतक बाबूलाल पुत्र बत्तीलाल व रैस्पो0 संख्या 22 के पति व 23 लगायत 25 के पिता आशुतोष व रैस्पो0 संख्या 26, 27 प्रस्तुत किया एवं दूसरा वाद उनवानी दुर्गा प्रसाद बनाम श्रीचन्द वगै0 कई वर्ष बाद, वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात व ग्राम हांसई व सौहांस की आराजीयात को सम्मिलित करते हुये बॅटवारा व निषेधाज्ञा व घोषणा का दायर किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादो को कंसोलिडेट करते हुये बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2022 से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 व 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार हुये, परन्तु मृतक के वारिसो को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये एवं बिना तलवी कराये एवं बिना सुने प्राथमिक डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया एवं ना ही प्राथमिक डिक्री में पक्षकारान के विवादित आराजी में हिस्से ही खोले गये हैं। दो दावे थे एक दावे में एक गॉव की आराजी थी एवं दूसरे दावे में तीन गॉव की आराजी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावो को गलत प्रकार से कंसोलिडेट किया। प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कोई तनकी नहीं बनायी। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपीलाण्ट के तर्को पर सहमति प्रकट करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर देवें। परन्तु शीघ्र निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित करने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.05.2022 को प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 व 22 नियम 4 सीसीपी पर बहस सुनी जाकर मृतको के वारिसो को रिकार्ड पर लिया है। परन्तु वारिसो को तलव किये बिना ही, उनकी बैक पर उसी रोज दोनों कंसोलिडेट वादो में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जो न्यायोचित ना होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह पहले मृतको के वारिसो को तलव करते एवं उन्हें सुनवाई व अपना पक्ष रखने का मौका देते, तत्पश्चात विधिवत निर्णय पारित करते। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अत्यंत सूक्ष्म एवं आदेशिका पर अंकित हैं। जिसमें दोनों पक्षो की बहस एवं पक्षकारो के विवादित आराजी में हिस्से आदि का कोई उल्लेख नहीं किया है। जबकि प्राथमिक डिक्री पारित करते समय आदेश में पक्षकारान के हिस्से आदि का विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दावे एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात भी कायम नहीं की गयी हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2022 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर